<u>अधिकरण–सदस्य नवम् मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (म0प्र0)</u>

(समक्ष–ए.पी.एस. चौहान)

<u>MACC No.- 1853/2022</u>
<u>Ragistration Date-16/11/2022</u>
<u>Filing No. 19384/2022</u>
<u>C.N.R. No. MP0701-025328-2022</u>

1. श्रीमती नेमा देवी भदौरिया पत्नी स्व. श्री दिनेश सिंह भदौरिया, आयु–35 वर्ष, व्यवसाय–गृह कार्य
2. लोकेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री दिनेश सिंह, आयु–18 वर्ष, व्यवसाय–विद्यार्थी
3. कु. निकिता भदौरिया पुत्री स्व. श्री दिनेश सिंह भदौरिया, आयु–17 वर्ष, अवयस्क, द्वारा सरपरस्त माता श्रीमती नेमा देवी
4. श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री रामेन्द्र सिंह, आयु–60 वर्ष
5. रामेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सुमेर सिंह, आयु–65 वर्ष

समस्त निवासीगण–वार्ड नं. 8 मौ रोड़, मेहगांव जिला भिण्ड (म0प्र0)

...........आवेदकगण

विरूद्ध

1. शिवकुमार कटेरिया पुत्र श्री कालका प्रसाद कटेरिया, आयु–40 वर्ष, निवासी–करमपुर थाना सिटी औरैया (उ0प्र0)
   (वाहन चालक ट्रक कमांक एम.पी. 09 एच.एच. 0489)
2. नरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र लाल शर्मा,

निवासी–138 भारत मार्केट डांग गुढीना, ग्वालियर (म0प्र0)
(**वाहन स्वामी ट्रक कमांक एम.पी. 09 एच.एच. 0489**)

3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा मण्डल प्रबंधक, मण्डल कार्यालय इंदरगंज ग्वालियर (म0प्र0)
(**बीमा कंपनी वाहन ट्रक कमांक एम.पी. 09 एच.एच. 0489**)

.................अनावेदकगण

आवेदकगण द्वारा	:–	श्री उमेश चौधरी अधिवक्ता।
अनावेदक क. 1 व 2	:–	श्री विनोद गोहदकर अधिवक्ता।
अनावेदक क. 3 द्वारा	:–	श्री ओ.पी. नायक अधिवक्ता।

–:: अधिनिर्णय ::–

{ आज दिनांक 18.12.2023 को पारित }

01. आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध धारा 166 सहपठित धारा 140 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत् दुर्घटनाकारक वाहन ट्रक कमांक एम.पी. 09 एच.एच. 0489 से दिनांक 17.12.2020 को हुई दुर्घटना में मृतक दिनेश सिंह भदौरिया की मृत्यु के परिणामस्वरूप 55,00,000/– रू. क्षतिपूर्ति राशि प्राप्ति हेतु क्लेम आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नगत ट्रक कमांक एम.पी. 09 एच.एच. 0489 का पंजीकृत स्वामी अनावेदक क. 02 नरेन्द्र शर्मा एवं बीमा कंपनी अनावेदक क. 03 है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अनावेदक क. 01

शिवकुमार के विरूद्ध प्रश्नगत दुर्घटना के संबंध में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड म.प्र. में प्रस्तुत किया गया है।

03. आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में निम्नानुसार रहा हैः–

(3–i) दिनांक 17.12.2020 की सुबह लगभग 11:30 बजे दिनेश सिंह मोटरसायकल से ग्वालियर से मेहगांव के लिये आ रहा था। भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड़ गोहद चौराहे के पास डांग के सामने, भिण्ड से ग्वालियर की तरफ ट्रक कमांक एम.पी. 09 एच.एच. 0489 का चालक उक्त वाहन को अत्यंत तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और मृतक की मोटरसायकल में सामने से टक्कर मार दी जिससे दिनेश सिंह भदौरिया की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। मर्ग कमांक 52/2020 पर से उक्त दुर्घटना के संबंध में पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड में अपराध कमांक 05/2021 अन्तर्गत धारा 304ए भा.द.सं. 1860 पंजीबद्ध किया गया एवं दुर्घटनाकारी वाहन ट्रक को जप्त किया गया।

(3–ii) दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त वाहन ट्रक कमांक एम.पी. 09 एच.एच. 0489 का चालक अनावेदक क्र. 1 शिवकुमार, स्वामी अनावेदक कमांक 2 नरेन्द्र शर्मा एवं घटना दिनांक 17.12.2020 को वाहन की बीमा कंपनी अनावेदक क्र. 3 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी थी।

(3–iii) मृतक दिनेश सिंह दुर्घटना के समय 40 वर्षीय हष्टपुष्ट, स्वस्थ्य, एवं तंदुरूस्त व्यक्ति होकर म.प्र. शासन द्वारा अधिमान्य पत्रकार था तथा नगर पंचायत मेहगांव के वार्ड क्र. 8 का पार्षद था एवं आवेदक मासिक आय के रूप में 25,000/– रू. आय अर्जित

करता था, जिससे आवेदकगण का भरण पोषण होता था। मृतक के परिजन पूर्णतः मृतक की आय पर ही आश्रित थे। आवेदकगण द्वारा विभिन्न मदों के अधीन मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत कुल 55,00,000/— क्षतिपूर्ति राशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाये जाने हेतु आवेदन पेश किया है।

04. वर्तमान प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 01 एवं 02 की ओर से क्लेम आवेदन पत्र का जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

05. अनावेदक क्र. 3 बीमा कंपनी की ओर से आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर आवेदक की ओर से प्रस्तुत दावा में किये गये अभिवचनों से इंकार करते हुये यह अभिवचन किये गये हैं कि कथित दुर्घटना से ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एच. 0489 की कोई संलिप्तता नहीं है, आवेदकगण द्वारा गलत रूप से संबंधित थाने से एवं अनावेदक क्र. 1 व 2 से सांठगांठ कर बताई गई दुर्घटना दिनांक से 16 दिन पश्चात् गलत रूप से क्लेम पाने के लिये रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। घटना के समय मृतक दिनेश द्वारा मोटरसयाकल को बिना हेलमेट पहने बीच रोड़ पर अत्यंत तेजी व लापरवाही से चलाया गया जिससे उसका संतुलतन बिगडने से अज्ञात वाहन से टकराकर दुघर्टनाग्रस्त हुआ है। दुर्घटना में दो वाहन आमने सामने से टकराने के कारण प्रकरण में कंट्रीब्यूट्री/कम्पोजिट नेगलीजेंसी होने से आवेदकगण आनुपातिक क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है। अनावेदक क्र. 1 द्वारा वाहन को अनावेदक क्र. 2 की सहमति से बिना वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस के चलाया जा रहा था। मृतक के पास घटना के समय उक्त वाहन को चलाये जाने हेतु कोई वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस नहीं था। धारा 158 उपधारा 6 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत वाहन मालिक द्वारा अथवा पुलिस द्वारा घटना से संबंधित कोई दस्तावेज संबंधित अधिकरण अथवा बीमा कंपनी को नहीं भेजे हैं। बीमा धारक व चालक द्वारा धारा 134 सी मोटरयान अधिनियम के तहत अपना वैधानिक

उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया गया है। प्रश्नगत घटना अंशदायी/समिश्रित उपेक्षा का परिणाम है। आवेदक के पास यदि पेन नंबर है, तो अनावेदक बीमा कंपनी को उपलब्ध कराया जावे यदि उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उस स्थिति में बीमा कंपनी को आयकर अधिनियम की धारा 194 ए (3) (IX) व 206 ए.ए. के अंतर्गत ब्याज राशि में से नियमानुसार कटौती करने का अधिकार होगा। अतएव उसके विरूद्ध आवेदकगण का आवेदन सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

06. प्रकरण में पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके विनिश्चय उनके समक्ष अंकित किये जावेगेः—

क्र.	वाद—प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या दिनांक 17.12.2020 को समय दोपहर 11:30 बजे लगभग, स्थान भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड, डांग के सामने गोहद चौराहा पुलिस थाना गोहद चौराहा, जिला भिण्ड पर अनावेदक क्र. 1 चालक/शिवकुमार कटेरिया द्वारा अनावेदक क्र. 2/नरेन्द्र शर्मा के स्वामित्व का ट्रक क्र. एम.पी. 09 एच.एच. 0489 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर मृतक दिनेश सिंह भदौरिया की मोटरसायकल में टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की, जिससे मृतक दिनेश सिंह भदौरिया को गंभीर चोटें आकर मृत्यु कारित हुई ?	**''प्रमाणित''**
2.	क्या उक्त दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा वाहन ट्रक क्र. एम. पी. 09 एच.एच. 0489 को बिना वैध एवं प्रभावी चालन आनुज्ञप्ति के तथा बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया	**''प्रमाणित नहीं''**

	जा रहा था, यदि हॉ तो प्रभाव?	
3.	क्या मामले में आवेदक पक्ष द्वारा चलाई जारही मोटरसायकल के स्वामी/बीमा कंपनी को पक्षकार नहीं बनाए जाने से मामले में आवश्यक पक्षकारों के अंसयोजन का दोष विद्यमान है ?	**"प्रमाणित नहीं"**
4.	क्या उक्त दुर्घटना दो वाहनों की टक्कर होकर अंशदायी/समिश्रित उपेक्षा का परिणाम है?	**"प्रमाणित नहीं"**
5.	क्या इस दावा अधिकरण को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है ?	**"प्रमाणित"**
6.	क्या आवेदकगण मृतक के वैध वारिसान/आश्रित होकर प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हां तो किससे एवं किस मात्रा में ?	**"अधिनिर्णय के पैरा–39 एवं 41 के अनुसार"**
7.	सहायता एवं व्यय ?	**"अधिनिर्णय के पैरा–41 के अनुसार दावा अंशतः स्वीकार"**

// निष्कर्ष कारण एवं आधार //

07. उक्त प्रकरण में आवेदकगण की ओर से साक्षी श्रीमती नेमा देवी (आ.सा.01) एवं सुनील सिंह (आ.सा.02) का परीक्षण कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी–1 लगायत पी–11 तक के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं। अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है। बीमा कंपनी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में बीमा पॉलिसी प्रडी–01 प्रस्तुत की गई है।

08. आवेदिका श्रीमती नेमा देवी (आ0सा0–1) मृतक की पत्नी की

अभिसाक्ष्य के अनुसार दुर्घटना दिनांक 17.12.2020 को गोहद चौराहे के पास सड़क दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो गई थी। उसे बाद में पता चला कि दुर्घटना ट्रक के द्वारा की गई थी। आवेदिका श्रीमती नेमा देवी (आ0सा0–1) द्वारा अभिसाक्ष्य के दौरान आपराधिक प्रकरणों के दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रपी–01 लगायत प्रपी–09 तथा उसके पति का तहसील स्तरीय अधिमान्य पत्रकार म.प्र. शासन के पहचान पत्र की फोटोप्रति प्रपी–10सी एवं उसके पति का वार्ड क्र.–8 का पार्षद होने संबंधी पहचान पत्र की फोटोप्रति प्रपी–11 सी को प्रदर्शित कराया गया है।

09. आवेदिका श्रीमती नेमा देवी (आ0सा0–1) द्वारा प्रतिपरीक्षण में अनावेदकगण की ओर से प्रश्नगत वाहन दुर्घटना की सत्यता को आक्षेपित करने संबंधी दिये गये समस्त सुझावों को अस्वीकार किया गया है। यद्यपि प्रतिपरीक्षण के पैरा–03 में आवेदिका ने स्वीकार किया है कि दुर्घटना उसके सामने नहीं हुई, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को उसने नहीं देखा। इस स्थिति में अनावेदक क्र. 01 की उपेक्षा एवं उतावलेपन के कृत्य के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है, लेकिन साक्षी की साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि प्रश्नगत वाहन दुर्घटना में मृतक दिनेश सिंह भदौरिया की मृत्यु हुई थी।

10. सुनील सिंह (आ0सा0–3) अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के अभिसाक्ष्य के अनुसार दुर्घटना दिनांक 17.12.2020 को वह मेहगांव से ग्वालियर मोटरसायकल से जा रहा था, जब वह डांग के नजदीक पहुंचा तो उसके आगे–आगे एक ट्रक क्र. एम.पी. 09 एच.एच. 0489 का चालक ट्रक को बडी तेजी व लापरवाही से चलाकर ग्वालियर की ओर ले जा रहा था तभी गोहद चौराहे की तरफ से आ रही एक मोटरसायकल को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। टक्कर मारने के बाद ट्रक थोडी देर रूका रहा था, थोडी देर बाद 100 नंबर की गाडी आ गई थी। साक्षी ने यह भी बताया है कि 100 नंबर की गाडी वालों ने उसका नाम व मोबाईल नंबर पूछा था। ट्रक चालक घटना स्थल से ट्रक को

भगाकर ले गया था। मृतक को वह जानता था। पुलिस ने उसका कथन लिया था।

11. सुनील सिंह (आ0सा0–2) द्वारा प्रतिपरीक्षण में अनावेदकगण की ओर से प्रश्नगत वाहन दुर्घटना की सत्यता को आक्षेपित करने संबंधी दिये गये समस्त सुझावों को अस्वीकार किया गया है। साक्षी की साक्ष्य घटना के आधारभूत तथ्य के संबंध में प्रतिपरीक्षण में सारतः अखण्डनीय रही है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में कोई तात्विक स्वरूप की विसंगति एवं विरोधाभाष नहीं है जिससे कि उसकी साक्ष्य की विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। ऐसी स्थिति में साक्षी की साक्ष्य पूर्णतः स्वाभाविक एवं विश्वसनीय रही है, जिससे आवेदकगण के मामले का समर्थन होता है।

12. आवेदिका श्रीमती नेमा देवी (आ0सा0–1) द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत मोटरयान दुर्घटना से संबंधित आपराधिक प्रकरण से दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि अंतिम प्रतिवेदन प्रपी–01, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी–02, अपराध विवरण फार्म प्रपी–03, शव परीक्षण आवेदन प्रपी–04, संपत्ति जब्ती पत्र प्रपी–05, गिरफ्तारी पत्र प्रपी–06, जमानतनामा प्रपी–07, प्रमाणीकरण प्रपी–08 एवं वाहन का रिहाई आदेश प्रपी–09 से आवेदिका नेमा देवी (आ0सा0–1) द्वारा अभिकथित दुर्घटना के घटनाक्रम में वाहन ट्रक क्र. एम.पी. 09 एच.एच. 0489 के चालक अनावेदक क्र. 01 द्वारा उपेक्षापूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने एवं उक्त दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मृतक दिनेश सिंह भदौरिया की मृत्यु होने के तथ्य की पुष्टि होती है। इस साक्ष्य के खण्डन में अनावेदकगण की ओर से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतएव आवेदक साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का न्यायसंगत कारण नहीं है।

13. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय **अनिल तिवारी विरूद्ध साहिब सिंह 2001(1) एम.पी.एल.जे. 59** में यह प्रतिपादित किया गया है कि मोटदुर्घटना दावा प्रकरणों में दाण्डिक प्रकरणों के दस्तावेजों को

ठोस सबूतों से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि से आवेदिका के कथनों की पुष्टि होती है और घटना का समर्थन होता है।

14. न्यायदृष्टांत **वीरेन्द्र कुमार विरूद्ध जशोदा बाई 2002 ए.सी.जे. 340** में यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां पुलिस द्वारा अन्वेषण के उपरांत वाहन चालक के विरूद्ध न्यायालय मे अभियोग पत्र पेश किया गया हो वहां अधिकरण ऐसे वाहन चालक द्वारा घटना के समय दुर्घटना घटित करने वाले वाहन को चलाने की उपधारणा कर सकता है।

15. अनावेदक वाहन चालक एवं वाहन स्वामी द्वारा प्रकरण में विचारण के दौरान इस बिंदु पर स्वतः का परीक्षण नहीं कराया गया है कि प्रश्नगत घटना किन परिस्थितियों में और किसकी लापरवाही का परिणाम है।

16. न्याय दृष्टांत **राजेन्द्र सिंह विरूद्ध शीतलदास 1992 (भाग–दो) एम.पी.वीकली नोट, नोट 104 तथा म0प्र0 राज्य परिवहन निगम विरूद्ध वैजन्तीबाई 1995 ए.सी.जे. 508** में प्रतिपादित अभिमत के अनुसार वाहन चालक दुर्घटना का सबसे निकटतम और श्रेष्ठ साक्षी होता है, जो इस संबंध में स्पष्टीकरण दे सकता है। जहां कि चालक ऐसे स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो यह उपधारित किया जा सकता है कि दुर्घटना वाहन चालक की लापरवाही का परिणाम थी।

17. अनावेदक क्र. 3 बीमा कंपनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ओ. पी. नायक का तर्क रहा है कि आवेदकगण द्वारा मिथ्या क्लेम आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा वाहन को मिथ्या आलिप्त किया गया है। मामले में विलंबित प्रथम सूचना रिपोर्ट रही है। घटना दिनांक 17.12.2020 की है एवं थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड में 17 दिन बाद दिनांक 03.01.2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी–02 दर्ज कराई गई है। उक्त विलंबित रिपोर्ट सोच समझ कर केवल क्लेम की राशि प्राप्त करने के लिये दर्ज कराई गई है। दुर्घटना प्रश्नगत वाहन से न

होकर अन्य वाहन से हुई थी।

18. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश चौधरी द्वारा बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता श्री नायक के तर्कों का खण्डनकारी तर्क इस आधार पर किया गया है कि दुर्घटना दिनांक 17.12.2020 की सूचना तत्काल ही मृतक दिनेश के पिता रामेन्द्र सिंह द्वारा थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड को दी गई थी जिस पर से मर्ग क्र. 52/20 धारा 174 द.प्र.स. कायम किया गया एवं जाचोपरांत थाना गोहद चौराहा में दिनांक 03.01.2021 को अपराध क्र. 5/2021 धारा 304 ए भा.दं. का पंजीबद्ध किया गया है।

19. अंतिम प्रतिवेदन प्रपी–01 के अनुसार उक्त तथ्य प्रमाणित होता है। यह भी अवलोकनीय है कि प्रपी–01 लगायत प्रपी–09 तक के दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा अनुसंधान के उपरांत यह पाया है कि घटना कथित वाहन से ही घटित हुई है जो कि अनावेदक क्र. 2 के स्वामित्व का रहा है और जिसे घटना के समय अनावेदक क्र. 1 द्वारा चलाया जा रहा था। जहां तक आवेदकगण एवं अनावेदकगण द्वारा मिलकर कथित वाहन को संलिप्त किये जाने का प्रश्न है तो यह अवलोकनीय है कि इस प्रकरण में मृतक के पिता द्वारा घटना के तुरंत पश्चात् दुर्घटना की सूचना संबंधित पुलिस को प्रदान कर अपने कर्तव्य को पूर्ण कर दिया था, किंतु पुलिस द्वारा मर्ग जांच में हुये विलम्ब के लिये आवेदकगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

20. इस संबंध में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत न्यायदृष्टांत **ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं.लि. विरूद्ध मुसम्मात अनीता तिवारी एवं अन्य 2023 (2) ए.सी.सी.डी. 599 (एम.पी.)** में प्रतिपादित अभिमत अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इस प्रकरण में भी दुर्घटना दिनांक को ही मर्ग सूचना दर्ज की गई थी और पुलिस द्वारा मर्ग सूचना में साक्षीगण के कथन विलंब से लेख

करने के पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब हुआ था जिसके लिये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया है कि इसके लिये आवेदकगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अतः माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में यह नहीं माना जा सकता कि आवेदकगण एवं अनावेदक क्र. 1 व 2 ने पुलिस से मिलकर इस घ ाटना में कथित वाहन को झूठा संलिप्त किया है।

21. हालांकि अनावेदक क्र. 3 की ओर से अपने समर्थन में न्यायदृष्टांत **मोहन विरूद्ध सूरज सिंह आदि एम.ए.सी.डी. 2010 (2) (एम.पी.) 968, ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी विरूद्ध कलावती आदि 2014 ए.सी.जे. 2772** प्रस्तुत किये हैं। जहां तक उपरोक्त न्यायदृष्टांतों का प्रश्न है तो उक्त न्यायदृष्टांतों से संबंधित प्रकरण की तथ्य एवं परिस्थितियां इस प्रकरण से भिन्न होने से उपरोक्त न्यायदृष्टांतों से अनावेदक क्र. 3 को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता हैं। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना दिनांक को ही दर्ज न कराये जाने के संबंध में युक्तियुक्त कारण रहा है तथा मामला विलंबित प्रथम सूचना रिपोर्ट का नहीं रहा है एवं आवेदकगण द्वारा मामला पूर्णत : प्रमाणित किया गया है। इस संबंध में इस न्यायालय का अभिमत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत न्यायदृष्टांत **रवि विरूद्ध बद्रीनारायण व अन्य 2011 ए.सी.जे.911** में अवधारित अभिमत पर अवलंबित है।

22. न्यायदृष्टांत **सुनीता विरूद्ध राजस्थान स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉपोरेशन ए.आई.आर. 2019 एस.सी. 994** में प्रतिपादित अभिमत् के अनुसार दुघ र्टना दावा लोक कल्याणकारी विधि है जो कि मृत्यु एवं उपहति के कठिन परिस्थितियों में मृतक के परिजनों को राहत प्रदान करने के लिये लाभदायी एवं कल्याणकारी विधान बनाया गया है। इस प्रकृति के वाहन दुर्घटना दावा मामलों के लिए सबूत का स्तर अधिसंभाव्यता की प्रबलता का होना चाहिए न कि सभी संदेह से परे होने का ऐसा कठोर स्तर जिसे आपराधिक मामलों में अनुसरित

किया जाता है। जब एक बार आधारभूत तथ्य यथा दुर्घटना का वस्तुतः घटित होना स्थापित हो जाता है, तो यदि दुर्घटना वाहन चालक की असावधानी के कारण घटित हुई हो तो अधिकरण की भूमिका न्यायोचित प्रतिकर की संगणना करने की होगी।

23. उक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि आवेदिका श्रीमती नेमा देवी (आ0सा0–1) एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सुनील सिहं (आ0सा0–2) की साक्ष्य एवं प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों के आधार पर यह अधिसंभाव्य रूप से प्रमाणित है कि दिनांक 17.12.2020 को समय दोपहर 11:30 बजे लगभग, स्थान भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड, डांग के सामने गोहद चौराहा, पुलिस थाना गोहद चौराहा, जिला भिण्ड पर अनावेदक क्र. 1 चालक/शिवकुमार कटेरिया द्वारा अनावेदक क्र. 2/नरेन्द्र शर्मा के स्वामित्व का ट्रक क्र. एम.पी. 09 एच.एच. 0489 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर मृतक दिनेश सिंह भदौरिया की मोटरसायकल में अक्कर मारकर दुर्घटना कारित की, जिससे मृतक दिनेश सिंह भदौरिया को गंभीर चोटें आकर मृत्यु कारित हुई। फलतः वादप्रश्न क्र. 01 का निष्कर्ष **"प्रमाणित"** में दिया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 3 एवं 4 :–

24. वादप्रश्न क्रमांक 3 एवं 4 की साक्ष्य एवं तथ्य एक–दूसरे में समाहित होने से सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से इनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

25. जहां तक, प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के दोष एवं अंशदायी/समिश्रित उपेक्षा का प्रश्न है, तो इन वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार अनावेदकगण पर है और अनावेदकगण की ओर से इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष एवं अंशदायी/समिश्रित उपेक्षा प्रमाणित होती हो। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि उक्त प्रकरण

आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के दोष से दूषित है एवं दुर्घटना अंशदायी/समिश्रित उपेक्षा का परिणाम है। अतएव वादप्रश्न क्र. 03 एवं 04 का निष्कर्ष **''प्रमाणित नहीं''** में दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्र. 02 :–

26. उक्त वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार अनावेदकगण पर है और अनावेदक क्र. 3 बीमा कंपनी की ओर से इस बिन्दु पर किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसके विपरीत आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि जब्ती पत्रक प्रदर्श पी–05 के अवलोकन से प्रकट है कि अनुसंधान के दौरान प्रश्नगत वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एच. 0489 एवं वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी, परमिट, ड्रायविंग लायसेंस एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति को जब्त किया गया है, जिसके प्रतिकूल खण्डनकारी साक्ष्य का अभाव है। अनावेदकगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह प्रमाणित होता हो, कि कथित वाहन को घटना के समय बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में उक्त वादप्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष **''प्रमाणित नहीं''** में दिया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक–05

27. जहां तक, दावा अधिकरण को मामले की सुनवाई के क्षेत्राधिकारिता का प्रश्न है, तो इस संबंध में आवेदकगण द्वारा अपने मूल आवेदन पत्र में अनावेदक क्र. 3 बीमा कंपनी का पता इंदरगंज जिला ग्वालियर होना बताया है। वैसे भी, दावा प्रस्तुत करने के क्षेत्राधिकार के स्थान के संबंध में धारा 166 (2) मोटरवाहन के अंतर्गत दावाकर्ता के साथ–साथ प्रतिवादी/अनावेदक के निवासी होने संबंधी विधि भी वर्णित है।

28. अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी द्वारा अपने वादोत्तर के अभिवचनों

में इस तथ्य का कोई प्रत्याख्यान नहीं किया है कि उनका कार्यालय उपरोक्त बताये गये पते पर ग्वालियर में स्थित नहीं है, न ही खण्डन में कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत की गई है। आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत अनावेदक क्रमांक 03 को मामले में उपस्थिति वास्ते दिये गये आव्हान शुल्क पत्र के अवलोकन से भी यही प्रकट है कि नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड इंदरगंज ग्वालियर म.प्र. को उक्त आव्हान शुल्क प्रेषित किया गया होकर तामीली उपरांत दिनांक 19.12.2022 को अनावेदक क्रमांक 03 वर्तमान मामले में उपस्थित हुआ है। अतः उक्त तथ्य से यह प्रकट है कि अनावेदक क्रमांक–03 का कार्यालय ग्वालियर में इस न्यायायल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है। अतएव **वादप्रश्न क्रमांक 05** का निष्कर्ष **"प्रमाणित"** में दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 06:–

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **सरला वर्मा विरूद्ध देहली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन 2009 ए.सी.जे.1298** में मृत्यु प्रकरण में प्रतिकर निर्धारण की प्रक्रिया और उसके चरण बतलाए हैं जिनकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत **रेशमा कुमारी विरूद्ध मदन मोहन 2013 ए.सी.जे.1253** में तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ के द्वारा की गई है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिकर निर्धारण की बतलाई गई प्रक्रिया का पालन करते हुए निम्नानुसार प्रतिकर का निर्धारण किया जा रहा है :–

मृतक की आयु

30. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत क्षतिपूर्ति आवेदन के अभिवचन में मृतक दिनेश सिंह की आयु घटना के समय 40 वर्ष होना अभिसाक्षित किया गया है। आवेदिका श्रीमती नेमा देवी (आ.सा.01) की ओर से अनावेदक वाहन चालक के विरूद्ध दुर्घटना से संबंधित आपराधिक प्रकरणों के दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि शव परीक्षण आवेदन प्रपी–04 में मृतक की उम्र–40 वर्ष उल्लिखित है तथा प्रकरण में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत मृतक के तहसील

स्तरीय अधिमान्य पत्रकार म.प्र. शासन का पहचान पत्र की फोटोप्रति प्रपी–10सी प्रस्तुत की गई है जिसमें मृतक दिनेश सिंह की जन्म दिनांक 10.12.1980 अंकित है जिसके अनुसार मृतक की दुर्घटना दिनांक 17.12.2020 को आयु 40 वर्ष 7 माह रही थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय **शशिकला व अन्य विरूद्ध गंगा लक्ष्म्मा व अन्य (2015) 9 एस.सी.सी. 150** में अवधारित किया गया है कि जब मृतक की आयु दो आयु वर्गों के मध्य हो तब गुणांक का चयन उस आयु वर्ग के आधार पर किया जाना चाहिए जिस वर्ग की आयु मृतक द्वारा पूर्ण की जा चुकी थी। ऐसी दशा में मृतक दिनेश सिंह की आयु घटना दिनांक 17.12.2020 को 36–40 वर्ष आयु समूह के अंतर्गत होना अधिसंभाव्य रूप से माने जाने का यह उचित मामला है।

आय उपार्जन

31. आवेदिका नेमा देवी (आ.सा.01) की साक्ष्य एवं क्षतिपूर्ति आवेदन के अभिवचन के अनुसार मृतक दिनेश सिंह म.प्र. शासन द्वारा अधिमान्य पत्रकार था तथा वर्तमान में नगर पंचायत मेहगांव के वार्ड क्र. 8 का पार्षद था, मृतक मासिक आय के रूप में 25,000/– रू. अर्जित करता था। आवेदिका नेमा देवी (आ.सा.01) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा–5 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने अपने पति के बताये गये कार्य एवं आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं, जिससे स्पष्ट है कि आवेदकगण की ओर से मृतक दिनेश सिंह के 25,000/– रू. प्रतिमाह आय अर्जित करने के संबंध में विश्वसनीय प्रकृति का प्रमाण अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

32. न्याय दृष्टांत **सैयद बशीर एहमद व अन्य विरूद्ध मोहम्मद जमील व अन्य 2009 (3) एम.पी.एल.जे.282** में यह अवधारित किया गया है कि मृतक की आय के संबंध में विश्वसनीय और सुदृढ़ साक्ष्य प्रस्तुत की जानी चाहिए। आवेदक की ओर से महज प्रख्यान करना समुचित नहीं है। आवेदकगण की ओर से इस संबंध में भी विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है कि मृतक

किसी प्रकार की विशेष योग्यता रखता था या कुशल श्रमिक था इस स्थिति में मृतक का परिवेश एवं पारिवारिक तथा सामाजिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आय का निर्धारण एक अकुशल श्रेणी के श्रमिक के रूप किये जाने का यह उचित मामला है।

33. न्याय दृष्टांत **किरण देवी विरूद्ध सुजीत यादव 2010 (2) एस.सी.सी. 289** में यह अवधारित किया गया है कि मृत्यु के मामले में जहॉ आमदनी का कोई ठोस प्रमाण न हो वहॉ दुर्घटना के समय राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी और मूल्य सूचकांक में वृद्धि के बारे में ज्यूडिशियल नोटिस लेते हुए मृतक की औसत आय की गणना करनी चाहिए।

34. श्रम आयुक्त म0प्र0 शासन इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्वे/पॉच/2015/36273–422 इंदौर दिनांक 29.09.2020 के संदर्भ में जिला कलेक्टर ग्वालियर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक क्यू/5–ना/6–17/3/2003 दिनांक 21.10.2020 के अनुसार ग्वालियर जिले के लिये दिनांक 01.10.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक अकुशल मजदूर की प्रतिमाह मजदूरी 8400/– रूपये एवं प्रतिदिन 280/– रूपये राउण्डअप निर्धारित की गई थी। न्याय दृष्टांत **रामजीलाल विरूद्ध ओंकारलाल 2004 ए.सी.जे. 238 एम.पी.डी.बी.** के मामले में प्रतिपादित अभिमत् के अनुसार मान्य 25 दिन काम किया जाना मानते हुए 280 X 25 = 7,000/– (सात हजार रूपये) मासिक आय तथा वार्षिक आय 84,000/– (चौरासी हजार रूपये) अधिसंभाव्य रूप से मान्य किया जाता है।

भविष्य की संभावना

35. न्याय दृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कं.लि. विरूद्ध प्रणय सेठी 2017 एस.सी.सी.5157** के मामले में यह प्रतिपादित किया गया है कि भविष्य की संभावनाओं के संदर्भ में अनुमानित आय अथवा स्वनियोजन वाले व्यक्ति के मामले में यदि वह 40–50 वर्ष आयु समूह का है तो आमदनी का 25 प्रतिशत

मान्य किया जाना चाहिए।

36. वर्तमान वाहन दुर्घटना के समय मृतक दिनेश सिंह की आयु दुघ्र्टना के समय 36–40 वर्ष आयु समूह के अंतर्गत होना अधिसंभाव्य रूप से प्रमाणित हुआ है। मृतक को अकुशल श्रेणी के मजदूर की श्रेणी में मान्य किये जाने के आधार पर उसकी वार्षिक आय 84,000/– (चौरासी हजार रूपये) निर्धारित की गई है, जिसकी 25 प्रतिशत राशि 21,000/– (इक्कीस हजार रूपये) भविष्य की संभावनाओं के रूप में वार्षिक आय में जोडे जाने पर कुल वार्षिक आय 84,000+21,000=1,05,000/– (एक लाख पांच हजार रूपये) रूपये अधिसंभाव्य रूप से मान्य की जाती है।

<u>व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च</u>

36. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम आवेदन के अनुसार मृतक दिनेश सिंह विवाहित था और आवेदकगण के रूप में क्रमांक–01 पत्नी तथा क्रमांक–02 एवं 3 संतानगण तथा आवेदक क्र. 4 व 5 माता–पिता को होना प्रगट किया गया है। आवेदक क्र. 2 लोकेन्द्र सिंह, मृतक दिनेश सिंह का वयस्क पुत्र होना दर्शित है जिसकी आश्रितता मृतक पर नहीं मानी जा सकती है। अतएव मृतक की आश्रितता की संख्या 04 होना अधिसंभाव्य रूप से दर्शित है। ऐसी स्थिति में उक्त न्याय दृष्टांत **<u>सरला वर्मा एवं प्रणय सेठी</u>** से मार्गदर्शन लेने पर मृतक के विवाहित होने एवं उसके परिवार में 4–6 आश्रित होने की स्थिति में मृतक का जीवन निर्वाह खर्च उसकी आमदनी के आधार पर निकाले गए आय का 1/4 भाग माना जाना चाहिए। अतएव मृतक दिनेश सिंह की वार्षिक आय 1,05,000/– (एक लाख पांच हजार रूपये) का 1/4 भाग अर्थात् 26,250/– (छब्बीस हजार दो सौ पचास रूपये) व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च के घटाये जाने पर उक्त तत्संबंधी आश्रित आवेदकगण की मृतक पर वार्षिक आश्रितता 1,05,000–26,250 = 78,750/– (अठत्तर हजार सात सौ पचास रूपये) अधिसंभाव्य रूप से मान्य की जाती है।

<u>गुणांक के बारे में</u>

37. न्याय दृष्टांत **<u>रेशमा कुमारी विरूद्ध मदन मोहन</u>** के मामले में मृतक की उम्र 36–40 वर्ष आयु समूह की स्थिति में 15 का गुणांक प्रयुक्त करने के संबंध में अवधारित किया गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान मामले में 15 का गुणांक प्रयुक्त किया जाना उचित है। इस प्रकार वार्षिक आश्रितता की राशि 78,750 x 15 = 11,81,250/– रू. निर्धारित की जाती है।

<u>परम्परागत मद</u>

38. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीय न्यायदृष्टांत **<u>श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध भगत सिंह रावत एवं अन्य 2023 (2) टी.ए.सी. 713 (एस.सी.)</u>** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये पूर्व निर्णय **<u>नेशनल इंश्योरेंस कं.लि. विरूद्ध प्रणय सेठी 2017 एस.सी.सी.5157</u>** को विस्तारित करते हुये यह निर्धारित किया है कि **<u>प्रणय सेठी के पूर्वोक्त</u>** निर्णीत प्रकरण के अनुसार प्रेम एवं स्नेह के लिये निश्चित राशि 50,000/– रू. एवं सहचर्य की हानि के लिये 40,000/– रू. केवल एक ही बार प्रदान की जावेगी, पृथक–पृथक प्रत्येक आश्रित को प्रदान नहीं की जावेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि किये जाने के तथ्य के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण को परम्परागत मद में निम्नानुसार प्रतिकर का अधिकारी मान्य किया जाता हैः–

1.	सम्पदा की हानि	16,500/–
2.	दाह संस्कार खर्च	16,500/–
3.	प्रेम एवं स्नेह की हानि हेतु	55,000/–
4.	सहचर्य (Filial consortium) की हानि हेतु	44,000/–

————————————————————————————————————

कुल राशि	1,32,000/—

———————————————————————————————————

39. उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य विवेचना के आधार पर वर्तमान मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यदि मृतक दिनेश सिंह के विधिक प्रतिनिधि एवं आश्रितगण आवेदकगण को उपरोक्तानुसार आश्रितता की हानि राशि **11,81,250 + परम्परागत मद 1,32,000 = 13,13,250/— रू. पूर्णांक में 13,13,500/— रू. (तेरह लाख तेरह हजार पांच सौ रूपये)** प्रतिकर प्रदाय किया जाता है तो इसे युक्तियुक्त, न्यायसंगत प्रतिकर कहा जा सकता है।

दायित्व निर्धारण

40. वादप्रश्न क्र. 1 के निष्कर्ष से अनावेदक क्रमांक—01 के द्वारा अनावेदक क्रमांक—2 के स्वामित्व के वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एच. 0489 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित किया जाना प्रमाणित पाया गया है। अनावेदक क्र. 2 दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का स्वामी होना प्रमाणित है। अनावेदक क्र. 3 वाहन की बीमा कंपनी में वाहन दुर्घटना के समय बीमाकृत रहा है। अतः अनावेदक क्र.1 वाहन चालक तथा चालक के प्रतिनिधिक दायित्व के आधार पर अनावेदक क्रमांक—02 वाहन स्वामी एवं संविदात्मक संबंधों के आधार पर अनावेदक क्रमांक—03 बीमा कंपनी संयुक्तः एवं पृथकतः आवेदकगण को समस्त क्षतिपूर्ति प्रदाय करने के दायित्वाधीन हैं। उपरोक्तानुसार वादप्रश्न प्रश्न क्रमांक—06 निराकृत किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक—07 (सहायता एवं व्यय) :—

41. उपरोक्तानुसार आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं आवेदकगण के पक्ष में एवं अनावेदकगण के विरूद्व निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :—

1. अनावेदकगण संयुक्ततः एवं पृथक पृथक रूप से मृतक दिनेश सिंह भदौरिया की दुर्घटना में हुई मृत्यु की क्षतिपूर्ति स्वरूप आवेदकगण को **13,13,250/— रू. पूर्णांक में 13,13,500/— रू. (तेरह लाख तेरह हजार पांच सौ रूपये)** दो माह के भीतर नवम् मो.दु.दा.अधि. के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्वालियर के खाता क्रमांक 517002010011931 आई.एफ.एस.सी. कोड UBIN0566713 में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कर अधिकरण को सूचित करें।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय **सिविल अपील क्र. 2526/2012 (Inayath Rajasab Attar Vs. Shantavva) में पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2020** में प्रतिपादित विधि के अनुसार समस्त क्षतिपूर्ति राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 29.09.2022 से अदायगी दिनांक तक 06 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज अदा करें।

3. आवेदकगण की मृतक से नातेदारी एवं आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए समस्त क्षतिपूर्ति राशि में से आवेदिका क्र. 1 पत्नी श्रीमती नेमा देवी को 60 प्रतिशत राशि एवं आवेदक क्र. 3 संतान पुत्री को 20 प्रतिशत एवं आवेदक क्र. 4 एवं 5 माता—पिता को 10—10 प्रतिशत राशि RTGS/NEFT के माध्यम से प्रदाय किया जाए।

4. आवेदकगण के लिये यह अनिवार्य होगा कि अधिनिर्णीत राशि के भुगतान के पूर्व अधिकरण के समक्ष स्वतः की पासबुक की फोटोप्रति एवं आधार कार्ड की प्रस्तुत किए जाने की दशा में ही आवेदक के खाते में RTGS/NEFT अंतरित किए जाने के लिये भुगतान आदेश जारी किया जावेगा।

5. आवेदिका क्र. 01 को प्राप्त होने वाली संपूर्ण क्षतिपूर्ति की राशि की 50 प्रतिशत राशि एवं आवेदक क्र. 04 एवं 05 को प्राप्त होने वाली संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि RTGS/NEFT के माध्यम से नगद भुगतान किया जाए। आवेदिका क्र. 01 को प्राप्त होने वाली शेष राशि 03 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा किया जावे, जिसका त्रैमासिक ब्याज आवेदक क्र. 01 को देय होगा।

6. आवेदक क्र. 3 कु. निकिता के अवयस्क होने से उसको

प्राप्त होने वाली समस्त क्षतिपूर्ति राशि वयस्कता अवधि तक के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा की जावे, जिसका त्रैमासिक ब्याज अवयस्क के हित संवर्धन एवं तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये आवेदिका क्र. 1 नैसर्गिक संरक्षिका माॅ को देय होगा।

7. क्षतिपूर्ति राशि की सावधि जमा प्रमाण–पत्र पर किसी भी प्रकार का कर्ज भार इत्यादि नहीं रखा जा सकेगा एवं निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर देय राशि न्यायालय के आदेश से भुगतान की जाएगी।

8. वर्तमान प्रकरण में धारा 140 मोटरयान अधिनियम के अधीन किसी भी प्रकार का अंतरिम प्रतिकर का आदेश नहीं दिया गया है।

9. अनावेदक अपने वाद व्यय के साथ–साथ, आवेदकगण का वाद व्यय भी वहन करेंगे।

10. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा परिशिष्ट के अनुसार अथवा 2,000/– रूपये जो न्यून हो, प्रदाय किया जाये।

उपरोक्तानुसार व्यय तालिका बनाई जाये।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित व मुद्रांकित कर पारित ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ए.पी.एस.चौहान)
सदस्य
नवम् मो.दु.दावा अधिकरण
ग्वालियर म0प्र0

(ए.पी.एस.चौहान)
सदस्य
नवम् मो.दु.दावा अधिकरण
ग्वालियर म0प्र0

ARVIND PRATAPSINGH CHAUHAN

Digitally signed by ARVIND PRATAPSINGH CHAUHAN
Date: 2023.12.18 17:03:43 +0530